दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग 4 में प्रकाशनार्थ,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग।

संख्या एफ 13(2)/96-एल.ए. दिनांक 14-3-96

राष्ट्रपति की दिनांक मार्च, 1996 को मिली अनुमति के पश्चात विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि (संशोधन) अधिनियम 1995

दिल्ली अधिनियम संख्या 2/1996
14-3-1996

दिल्ली राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित अधिनियम

यह भारतीय गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधान सभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जायेगा :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :- (1) इस अधिनियम को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्यों के (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से उपराज्यपाल द्वारा यथा निर्धारित तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. धारा 7 का विलोपन :- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्यों के (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) अधिनियम, 1994 (1995 का ..... दिल्ली अधिनियम) (इसके पश्चात मूल अधिनियम के रूप में सन्दर्भित) की धारा 7 विलोप की जायेगी।

3. <u>धारा 8 के स्थान पर एक नयी धारा का प्रतिस्थापन :-</u>

मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित की जायेगी अर्थात् : 8 यात्रा वाहन अग्रिम :

प्रत्येक सदस्य यात्रा वाहन खरीदने के लिये पचास हजार रुपये तक पुनः भुगतान योग्य ऋण पाने का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) में संदर्भित अग्रिम के लिये ब्याज की दर एवं वसूली की रीति एवं इस पर ब्याज राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से शासन द्वारा यथा निर्धारित होगा।"

4. नयी धारा 11 का सन्निवेश : – मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा शामिल की जायेगी अर्थात्

" नियम बनाने की शक्ति :- शासन इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकता है ।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम के बनने के बाद इसे यथाशीघ्र विधान सभा पटल के समक्ष कुल तीस दिन के सत्र काल में रखा जाएगा । उक्त अवधि एक सत्र की हो या दो सत्रों की हो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों को मिलाकर हो और यदि आगामी सत्र या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्रों से तुरन्त पहले सत्र समाप्त होने से पहले सदन नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए सहमत है या सदन सहमत है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो इसके बाद नियम केवल ऐसे आशोधित रूप में प्रभावी होगा । या प्रभावी नहीं होगा , जैसी भी स्थिति हो , तथापि ऐसा आशोधन या निष्प्रभावित उक्त नियम के अन्तर्गत पहले किए गये की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव के रहित होगा ।

(आर॰ सी॰ एम॰ सिन्हा)
सचिव (र॰ मा॰ स॰)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW,JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
5-SHAM NATH MARG DELHI-110054

No.F.13(2)/96-L.A. Delhi, the 14th March,1996

The following Act of Legislative Assembly received the assent of the President on India on 7th March 1996 and is hereby published for general information.

THE MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES, ALLOWANCES, PENSION ETC.)(AMENDMENT) ACT,1995 (DELHI ACT No.2 OF 1996)

date. 14.3.1996

AN

ACT

further to amend `The Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension etc.) Act, 1994'

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short Title and Commencement.- (1) This Act may be called The Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension etc.)(Amendment) Act,1995.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Omission of Section 7 - In 'The Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension etc.) Act, 1994 (Delhi Act 6 of 1995)' (hereinafter referred to as" the principal Act"), section 7 shall be omitted.

3. Substitution of section 8 by a new section - In the principal Act, for section 8, the following shall be substituted, namely:-

"8. Conveyance advance - (1) A member shall be entitled to a repayable advance upto rupees fifty thousand for the purchase of a conveyance.

(2) The rate of interest for the advance referred to in sub-section (1) and the mode of recovery and interest thereon shall be such as may be prescribed by the Government, with the prior approval of the President".

4. Insertion of new section 11 - In the principal Act, after section 10, the following new section shall be inserted, namely:-

"Power to make rules - The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the Legislative Assembly of Delhi while it is in session, which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without

Contd.....3

prejudice to the validity of anything previously done under that rule".

DVS

(R.T.L. D'SOUZA)
UNDER SECRETARY (L.A.)